

**DISTRICT AND SESSIONS JUDGE DIVISION
IN THE COURT OF DEEPAK KUMAR-I
Addl. District and Sessions judge-II cum special judge
Vigilance.**

S.T.-852/2017

05-05-2026

वाद के एक मात्र अभियुक्त प्रवीण साह अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 16.03.2023 को अभियुक्त का बंधपत्र खंडित होने के पश्चात अभियुक्त की उपस्थिति हेतु NBW, धारा 82 द0प्र0स0 तथा 83 द0प्र0स0 प्रोसेस जारी किया जा चुका है। दिनांक 13.04.2026 को अभियोजन को निर्देश दिया गया कि U/S - 299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य पुस्तुत करे। अभियोजन अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य कराना नहीं चाहते हैं। अभियोजन के निवेदन पर U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य बंद किया जाता है तथा अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई अधिपत्र (Permanent Warrant) जारी करे तथा नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।


(Deepak Kumar-I)

D.A.S.J-II